







“ಉದ್ದೇಶಗಳೇ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ” ಎ

# कृषि कर्मण पुरस्कार



- ಉದ್ದೇಶಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ
- ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ
- ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ



ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

2010-11 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.





# सूचना प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास

इस पहल का उद्देश्य है कि 'डिजिटल' कौशल को लोगों के बीच फैला जाए और वे इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ा सकें। 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है।



डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

इस पहल का उद्देश्य है कि 'डिजिटल' कौशल को लोगों के बीच फैला जाए और वे इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ा सकें। 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 23006 (संघीय स्तर पर) 'डिजिटल' कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है।













































## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जन संकल्प-2013 और दृष्टि पत्र-2018 के बिन्दु

- सुशासन (1.3) - अन्त्योदय मेलों से आगे जाकर अब चिन्हित शासकीय सेवाओं की 'होम डिलीवरी'।
- सुशासन (1.5) - सभी विभागों में बजट एवं वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ का गठन। लेखा नियमावली में भी तदनुसार संशोधन।
- सुशासन (1.7) - नये विकासखण्डों के निर्माण के लिए अनुशांसा करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जो अपनी अनुशांसा केन्द्र सरकार को भेजेगी।
- सुशासन (1.9) - सभी विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के बाहरी मूल्यांकन हेतु व्यवस्थाएँ।
- सुशासन (1.18) - सभी विभागीय प्रशिक्षणों में सूचना का अधिकार अधिनियम का अनिवार्य पाठ्यक्रम।
- सुशासन (1.23) - हमने ई-गवर्नेंस की दृष्टि से निर्माण विभागों में ई-टेण्डरिंग, ई-मेजरमेंट, ई-पेमेंट जैसी बहुत सी प्रणालियाँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये शुरू की हैं। अब इन्हें अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी प्रयुक्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।
- सुशासन (1.24) - सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कम्प्यूटर साक्षरता सुनिश्चित करने का अभियान चलाया जायेगा।
- सुशासन (1.25) - हर विभाग अपना ई-गवर्नेंस प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिये बजट में राशि सुरक्षित करवायेगा। न्यूनतम 2 प्रतिशत बजट राशि विभाग को ई-गवर्नेंस पर व्यय करनी होगी।
- किसान (2.5) - मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना।
- किसान (2.6) - मुख्यमंत्री ग्रामीण आश्रय योजना। गांवों में भवनहीन कृषि मजदूरों एवं किसानों को विभिन्न योजनाएं एकीकृत कर राज्य शासन के वित्तीय सहयोग से 10 लाख घर।
- किसान (2.20) - खेतीहर मजदूरों का कुशल श्रमिकों में बदलने का वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.3) - गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का जीवन बीमा।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.7) - ग्रामीण हाट बाजारों को स्थानीय करों से मुक्ति।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.8) - ग्रामीण क्षेत्र के स्वामित्व वाले रहवासी मकानों का पट्टा या अधिकार पुस्तिका (Title Deed) ताकि उसके आधार पर वे बैंक ऋण, शासन सुविधा आदि प्राप्त कर सकें।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.9) - जो गांव प्रधानमंत्री सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सड़क योजना में शामिल कर पाँच वर्षों में सभी गांवों को सड़क सुविधा।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.10) - पंचायतों को पेयजल योजना, संधारण, रखरखाव एवं ग्रीष्म काल का बिजली बिल का भुगतान शासन स्तर पर।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.35) - ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव तथा बिल (ग्रीष्म ऋतु में) राज्य सरकार द्वारा।
- नारी शक्ति (4.1) - शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को उद्योग/व्यापार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण।
- नारी शक्ति (4.19) - मर्यादा अभियान के तहत ग्राम एवं नगर दोनों में सार्वजनिक सुलभ कामप्लेक्स को व्यवस्था।
- युवा (5.36) - ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर अटल खेल स्टेडियम।
- युवा (5.37) - हर पंचायत में खेल एवं युवा क्लब का गठन।
- युवा (5.38) - ग्रामीण खेलकूद, पंचायत से प्रदेश स्तर तक। वार्षिक कैलेन्डर तथा पुरस्कार।
- उद्योग एवं व्यापार (8.20) - स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा विनिर्माण कर बेची जाने वाली हस्तनिर्मित वस्तुओं को कर मुक्त करने की नीति।
- उद्योग एवं व्यापार (8.24) - कारीगरों एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिये भोपाल हाट की तर्ज पर जिला मुख्यालयों पर हाट बाजार क्षेत्र विकसित किये जाकर उन्हें उत्पाद विक्रय में सहयोग किया जावेगा।
- उद्योग एवं व्यापार (8.33) - ग्रामीण बाजारों को अपग्रेड करने का अभियान चलाया जायेगा और उनमें स्वच्छता तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी, और इसी बात का आकलन किया जायेगा कि क्या कुछ नयी हाट-जरूरतें नये स्थानों पर विकसित हूँगी। तदनुसार नये हाट क्षेत्रों का विकास किया जायेगा।
- कर्मचारी (18.4) - 50 वर्ष के ऊपर के शासकीय कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के तरह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.1.2.3) - मिट्टी और भूमि के उपयोग, जलग्रहण क्षेत्र का विकास, खेती की पद्धतियों, कृषि संसाधन की सूचना और फसल मौसम की निगरानी के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली/रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली को आरम्भ किया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.1.A.2) - बंजर और नदी घाटी भूमि का चारा उत्पादन के लिये विकास, किसान के खेतों पर भूमि सुधार के लिये खेत पर ही प्रयोग करने की पहल।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.1) - मेढ़ बंधान और जल निकासी नालियों के रख-रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.3) - बंजर भूमि को परिवर्तित करने और उस पर खेती करने के लिये, विशेष रूप से राज्य के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में एक ठोस रणनीति का कार्यान्वयन।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.4) - निजी स्वामित्व वाली पड़त भूमि को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.5) - एक-फसली भूमि को दो-फसली को तीन-फसली बनाने के उद्देश्य से योजनाओं की पहल।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.6) - बीहड़ों, विशेष रूप से चम्बल के बीहड़ों को विकसित करने के लिये विशेष कार्यक्रम।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.B.1.1) - प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टे. अति. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.B.1.6) - रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भू-जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.B.1.7) - कुल 5 लाख हेक्टे. क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.B.2.2) - कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10% की वृद्धि की जायेगी।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.B.2.6) - वाल्मी और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.C.1.3) - किसानों को उनके द्वार पर गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिये 100 नर्सरियों का सशक्तीकरण किया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.C.2.3) - एक भोपाल-इन्दौर उद्यानिकी गलियारा विकसित किया जायेगा। साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, छिन्दवाड़ा और छतरपुर के आस-पास भी उद्यानिकी समूह विकसित किये जायेंगे।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.C.3.2) - उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन की सुविधा हेतु कलेक्शन सेंटर्स, राइफिंग चैम्बर्स और शीत भवन सुविधायुक्त एकीत बैंक हाउस आदि की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.D.1.2) - खेत मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने/पुनः स्थापित करने के लिये प्रमाणित जैविक खादों के प्रयोग को अधिक बढ़ावा।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.D.1.3) - उद्यानिकी फसलों के लिये कम लागत वाली वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों को बढ़ावा।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.E.2.1) - भण्डारण क्षमता में

- 150 लाख एमटी तक का विस्तार। इसमें से कम से कम 110 लाख एमटी निजी क्षेत्र और 40 लाख एमटी शासकीय क्षेत्र में रहेंगे।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.G.1.9) - सबसे गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने हेतु व्यवस्थित कुक्कुट पालन और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन को बढ़ावा दिया जायेगा।
  - कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.H.1.1) - मौजूदा जल क्षेत्र का 100% मत्स्य उत्पादन के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा।
  - कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.I.1.1) - लगभग 4000 हेक्टे. नये क्षेत्र को मलबरी रेशन उत्पादन से जोड़ा जायेगा।
  - कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.I.1.2) - रेशन उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर्स को विकसित किया जायेगा।
  - कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.I.2.1) - टसर कीट पालन के वर्तमान वन क्षेत्र 25000 हेक्टे. को बढ़ाकर 40000 हेक्टे. किया जायेगा।
  - शिक्षा (2.A.3.2) - माध्यमिक स्कूल स्तर पर बालिकाओं के नामांकन और निरंतरता का सतत प्रयास प्रत्येक बसाहट के पांच कि.मी. की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं के लिये सुविधा का विस्तार। सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय एवं पेयजल सुविधा की अनिवार्यता।
  - शिक्षा (2.A.4.4) - आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में खेल अधोसंरचना का विस्तार करना।
  - महिला सशक्तीकरण (4.2.1) - महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विषय में साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना तथा आवश्यक योजनाओं की पहचान करना।
  - महिला सशक्तीकरण (4.2.2) - आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के स्व-सहायता समूह तंत्र का विस्तार और व्यवसायिक तंत्रों की अगली और पिछली कड़ियों में समन्वय स्थापित करना।
  - कौशल विकास (5.1.3) - आदिवासी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास की अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।
  - कौशल विकास (5.4.2) - सम्प्रेषण हुनर, कार्य कौशल और व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सभी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेश।
  - समावेशी विकास (6.1.1) - भूमिरहित और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे सूक्ष्म उद्योग में अवस्थापना की दिशा में स्व-सहायता समूहों का सशक्तीकरण, विस्तार एवं इनकी गतिविधियों को निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।
  - समावेशी विकास (6.12) - प्रतिकूल परिस्थिति वाले औसत भूमिहर् समूहों की आय में उत्पादकता और उनके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार द्वारा वृद्धि।
  - समावेशी विकास (6.2.1) - औसत से कम भूमिहर् समूहों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों और क्लस्टर्स हेतु विशेष कार्यक्रमों के सृजन के उद्देश्य से उनकी पहचान।
  - समावेशी विकास (6.3.5) - बच्चों को पूरक पोषण, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने हेतु विस्तृत पैकेजों का समुचित उपयोग करना।
  - समावेशी विकास (6.4.1) - शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आवश्यक क्षेत्रों को पहचानना और अंतराल भरने के कार्य को सुगम बनाने के लिये विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देना और इन विभागों के हितग्राहियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने के योग्य बनाना।
  - सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2) - सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी गांवों तक सड़क की पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति।
  - सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2.1) - बारहमासी सड़कों के द्वारा वर्ष भर सभी गांवों के लिये सम्पर्क।
  - सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2.4) - निस्तार पत्रक/वाजिबुलअर्ज में सूचीबद्ध खेत-सड़कों का बारहमासी ग्रेवल सड़कों में उन्नयन एवं खसरा में आवश्यक प्रविष्टियां।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.1) - पक्के आवास की उपलब्धता का विस्तार।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.1.1) - विभिन्न योजनाओं के तहत न्यूनतम 10 लाख घरों का निर्माण।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2) - नागरिक अधोसंरचना में सुधार।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.1) - आंतरिक सड़क एवं जल निकासी में सुधार।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास (11.2.1.1) - पंच परमेश्वर योजना के तहत जल निकासी एवं सर्विस डकट सहित आंतरिक सीसी सड़कों का निर्माण किया जायेगा। कम से कम 75 प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2) - स्वच्छता सुविधाओं की सुनिश्चित उपलब्धता।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2.1) - नल जल सप्लाई से जुड़े सभी ग्रामों को वर्ष 2018 तक मर्यादा अभियान की रणनीति अपनाते हुये खुले में शौच मुक्त बनाना।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2.2) - पांच हजार तक या इससे ऊपर की आबादी वाले गांवों को बसाहटों में समग्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.3) - ग्रामों में सार्वजनिक सेवा प्रदाय में सुधार।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.3.1) - नागरिक सेवाओं की पहचान, विशेषतः स्वच्छता एवं मैला निपटान एवं ग्राम पंचायत को यह सेवाएँ प्रदान करने हेतु अधिकार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।
  - ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.4.3) - ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना निर्माण एवं रखरखाव के लिये फिसकल डिस्प्लिन हेतु वित्तीय साधनों का विस्तार।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.3.1) - किसानों की भूमि पर इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये उभरते कृषि वानिकी क्षेत्र में प्रयासों का विस्तार।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.3.2) - बंजर भूमि तथा खुले मैदानों को कृषि योग्य बनाने हेतु सामाजिक वानिकी का सुदृढीकरण।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.4) - वृक्ष आच्छादन का विस्तार एवं वन्य जीवन संरक्षण।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.4.1) - विगड़े वन क्षेत्रों में वृक्ष सघनता में वृद्धि।
  - पर्यावरण प्रबंधन 13.4.2) - गैर वन क्षेत्रों के साथ बंजर भूमि, बीहड़, नहरों के किनारे एवं परित्यक्त खनन स्थलों पर वृक्ष आच्छादन में वृद्धि।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.5) - भू-जल स्रोतों का पुनरुद्धार।
  - पर्यावरण प्रबंधन (13.5.4) - स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा समुचित मूल्य निर्धारण तंत्र के जरिये भूमिगत जल एवं सतही जल का सिंचाई के लिये संयोजित उपयोग।
  - संस्कृति, विरासत और पर्यटन (15.8) - इको तथा एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा।
  - संस्कृति, विरासत और पर्यटन (15.8) - संरक्षित वन क्षेत्रों के आस-पास ईको एवं एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ, इन गतिविधियों को प्रमुख और सैटलाइट पर्यटक परिपथों पर विकसित करना।
  - नारी शक्ति (A.2.2) - आजीविका और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के स्व-सहायता समूह तंत्र का विस्तार और इन व्यवसायिक तंत्रों की अगली और पिछली कड़ियों में समन्वय स्थापित।
  - सुशासन (16.4.4) - एक समेकित पोर्टल, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं (जिनमें ई-डिस्ट्रिक्ट, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आदि के तहत प्रस्तावित सेवाएँ शामिल हैं) जैसे कल्याण योजना भुगतान को ऑनलाइन प्रस्तावित किया जायेगा।
  - सुशासन (16.4.7) - सभी विभागों द्वारा ई-गवर्नेंस प्लान अनिवार्यतः बनाया जायेगा।
  - सुशासन (16.5.1) - पेपरलेस आफिस वातावरण को बढ़ावा दिया जायेगा और सरकार कार्यालयों के अंदर दक्षता सुधारने हेतु प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। शासकीय सेवा में सुधार हेतु फाइल प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, कर्मचारी जानकारी, और सूचना सेवाएँ ई-ऑफिस प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेंगी।
  - सुशासन (16.6) - सरकारी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
  - सुशासन (16.7) - पारदर्शी और सहभागी शासन को बढ़ावा।











# राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयास

एक लाख महिलाओं के दस हजार स्वसहायता समूहों का निर्माण

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। इस मकसद से वित्तीय वर्ष के अंत तक मिशन के सघन क्षेत्रों में एक लाख महिलाओं के 10 हजार स्व-सहायता समूह बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। महिला स्व-सहायता समूहों को 100 दिवसीय कार्य-योजना के अंतर्गत 108 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों और स्व-सहायता समूहों की मदद के लिये मिशन द्वारा 100 बैंक मित्रों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन बैंक मित्रों को ग्रामीण आसानी से पहचान सकें, इसके लिये उन्हें पहचान के लिये बेज भी दिये जा रहे हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि मिशन में सभी पात्र स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जा रहा है। बैंकों के जरिये वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के साथ ही समूहों द्वारा तैयार किये जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश में जिला, संभाग और राज्य-स्तर पर आजीविका बाजार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री होगी। स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद के लिये आजीविका ब्राण्ड” का लोगो तैयार किया गया है। इससे सभी उत्पादों में एकरूपता बनी रहेगी।

स्व-सहायता समूहों को कृषि संबंधी गतिविधियों से सुनियोजित तरीकों से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही मल्टी-लेवल क्रॉपिंग के संबंध में समूह सदस्यों को प्रेरित करने की मुहिम शुरू की गई है। मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर एवं शहडोल जिले में कोदो-कुटकी, रामतिल आदि कृषि उत्पाद से स्व-समूहों को जोड़ा जा रहा है। कृषि के साथ ही पशु-पालन सहित विभिन्न गैर-कृषि आजीविका गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन में प्रत्येक संकुल

में कम से कम एक ग्राम को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आदर्श गाँव में समूह सदस्यों को सभी तरह की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में सुनियोजित प्रयास होंगे। इन ग्रामों में स्वच्छता के लिये शौचालय निर्माण तथा पात्र सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलवाने के लिये सघन कार्यवाही की जायेगी। मिशन के जरिये प्रत्येक जिले में कम से कम 100 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाकर ऐसे प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये किये जाने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में सार्थक कोशिशें शुरू की गई हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अप्रैल, 2012 से आरंभ हुआ है। मिशन को चरणबद्ध रूप से प्रदेश के विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है। शुरुआत में राज्य के 10 आदिवासी बहुल जिलों के चयनित 46 विकासखण्डों में इसे सघन रणनीति से लागू किया गया है। इसके अलावा 214 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 1999 से कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाय) में परिवर्तन करते हुए इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया है। गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी के अवसर उपलब्ध करवाकर निर्धनता कम करना ही मिशन का मुख्य उद्देश्य है। गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सामुदायिक संस्थाओं के गठन और उनको सशक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इस रणनीति के अंतर्गत स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघ का गठन एवं सशक्तिकरण किया जा रहा है।

● nāEpiVēEĒE





































